निदेशक, खान की अध्यक्षता में दिनांक–20.01.2026 (मंगलवार) को अपराह्न 03:30 बजे से VC के माध्यम से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

समीक्षा के क्रम में VC के माध्यम से जिलों के सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गए :–

1. **समाहरण :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग के लिए कुल निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 4756.73 करोड़ के विरूद्ध 19 जनवरी, 2026 तक मात्र 2149.59 करोड़ रूपये का समाहरण किया गया है, जो कि काफी कम है। कतिपय जिलों यथा मुंगेर, शिवहर, सारण, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, पटना, मधेपुरा, औरंगाबाद, वैशाली, कटिहार, मधुबनी, बेगुसराय, गया द्वारा द्वारा वार्षिक लक्ष्य का 40 प्रतिशत से भी कम वसूली किया गया है, जबकि माह दिसम्बर, 2025 तक लक्ष्य का 50 प्रतिशत समाहरण किया जाना है। इस संबंध में संबंधित जिलों के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

जिन जिलों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कम वसूली की गयी है, उन्हें सख्त निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना बनाकर आगामी बैठक से पूर्व लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :– सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

2. **बालूघाटों के नीलामी/नीलामित बालूघाटों के संचालन/प्रत्यार्पित बालूघाटों की पुनर्निलामी की समीक्षा :–**

(i) राज्यान्तर्गत कुल 463 पीला बालूघाटों में से वर्तमान में मात्र 293 बालूघाट ही नीलामित है, शेष 170 बालूघाट अनीलामित है, जबकि संचालित बालूघाटों की संख्या 159 है। पीला बालूघाट वाले जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत रूचि लेकर बालूघाट बंदोबस्तधारी एवं संबंधित RQP से सम्पर्क कर लंबित EC/CTO/CTE सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। जिला समाहर्त्ता से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर अनीलामित बालूघाटों के बंदोबस्ती हेतु ई–नीलामी के लिए अविलम्ब निविदा प्रकाशन की कार्रवाई की जाय। इसी प्रकार उजले बालूघाटों वाले जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को नीलामित बालूघाटों के संचालन एवं अनीलामित बालूघाटों के नीलामी हेतु

आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रत्यार्पित बालूघाटों की पुनर्नीलामी की कार्रवाई अविलम्ब कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. <u>माननीय उच्च न्यायालय में लंबित CWJC/MJC एवं अन्य मामलों की समीक्षाः–</u>

माननीय उच्च न्यायालय में कुल लंबित मामले 93 है, जिसमें से CWJC-62, Cr.WJC-18, Cr.Misc-05 एवं MJC-08 है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब तथ्य विवरणी तैयार कराकर प्रतिशपथ दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :– सभी संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

4. <u>कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर से भेजे गए शिकायत की अद्यतन स्थिति :–</u>

कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर से खनिज विकास पदाधिकारियों/खान निरीक्षकों को भेजी गई शिकायतों की कुल सं0– 65, जिसमें प्रापत ATR की सं0–24 एवं लंबित ATR की सं0–41 है।

लंबित ATR वाले जिलें यथा–अररिया–05, औरंगाबाद–01, बेगूसराय–02, बेतिया–01, भागलपुर–01, भोजपुर–01, दरभंगा–03, गया–05, जमुई–01, कटिहार–01, किशनगंज–02, मधुबनी, मोतिहारी–01, मुजफ्फरपुर–03, नालंदा–01, नवादा–03, पटना–03, रोहतास–01, सारण–01, समस्तीपुर–01, सीतामढ़ी–01 एवं सुपौल–02 है। उन सभी जिलों को निदेश दिया गया कि लंबित ATR से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक)

5. <u>VLTS पोर्टल पर प्राप्त Auto Generated Report की समीक्षा :–</u>

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदन VLTS Portal पर Login कर विभिन्न प्रकार के Auto Generated Report का समीक्षा एवं विश्लेषण करने का निदेश दिया गया। अनियमितता पाये जाने की स्थिति में संबंधित बालूघाटों/ वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

6. <u>ऑनलाईन रिटर्न जमा नहीं करने के संबंध में अद्यतन स्थिति :–</u>

जिन जिलों द्वारा ऑनलाईन रिटर्न जमा नहीं किया गया है, उन्हें निदेश दिया गया कि अविलम्ब ऑनलाईन रिटर्न जमा करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

7. **एकरारनामा का निबंधन हेतु S-Drive का प्रतिवेदन की स्थिति :–**

एकरारनामा निष्पादित सभी बालूघाटों के एकरारनामा का तीन दिनों के अन्दर विशेष अभियान के तहत निबंधन कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

8. **जब्त वाहनों का अधिहरण एवं नीलामी :–**

वैसे वाहन जिनके मालिक/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित अवधि में दण्ड की राशि जमा नहीं की गयी है, वैसे मामलों में अविलम्ब समाहर्त्ता को अधिहरण एवं राज्यसात का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। जिन मामलों में समाहर्त्ता द्वारा जप्त वाहन/उपकरण का अधिहरण कर लिया गया है, उन वाहनों का अविलम्ब नीलामी करायें। साथ ही अधिहरण वादों में समाहर्त्ता तथा जिला के विधि शाखा से सम्पर्क स्थापित कर व्यक्तिगत रूचि लेते हुए अविलम्ब अधिहरण एवं राज्यसात की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

9. **कार्य विभाग :–**

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी कार्य विभाग यथा ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, NHAI, रेलवे, IDA, BRPNNL, BRPBNNL, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज एवं अन्य विभागों के कार्यपालक अभियंताओं से समन्वय स्थापित कर कार्यान्वित योजनाओं में नियमानुसार स्वामिस्व एवं मालिकाना फीस की कटौती सुनिश्चित कर खनन शीर्ष में जमा करायेंगे। जिलास्तरीय खनन टॉस्क फोर्स की बैठक में रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस का भुगतान के मामले को प्रमुखता से रखेंगे।

पिछले तीन वर्षों का कार्य विभागवार जमा की गयी राशि की समीक्षा कर वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अपेक्षाकृत कम राशि का भुगतान करने वाले कार्य विभागों पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

10. **ईंट–भट्ठा की समीक्षा :–**

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिलान्तर्गत सभी ईंट भट्ठों का निरीक्षण माह फरवरी के अंत तक पूर्ण करा लिया जाय एवं बिना समेकित स्वामिस्व का भुगतान किये संचालित ईंट भट्ठों से अविलम्ब रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्य बिन्दु :–

(i) कंट्रोल रूम में प्रभारी पदाधिकारी (श्री शम्भू प्रसाद साहू) को निदेश दिया गया कि जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित कर समीक्षा हेतु प्रस्तुत करेंगें।

(अनुपालन :–श्री साहू, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0))

(ii) दैनिक समाहरण प्रतिवेदन के संबंध में सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप दैनिक समाहरण का प्रतिवेदन 11:00 बजे पूर्वाह्न तक अचूक रूप से मुख्यालय में स्थित कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

(iii) अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के विरूद्ध दैनिक छापेमारी से संबंधित प्रतिदिन नियमित रूप से 11:00 बजे पूर्वाह्न तक मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

स्थापना (क्षेत्रीय) :–

(i) कई जिलों द्वारा बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज नहीं करने की सूचना प्राप्त है। बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर अगले माह से वेतन का भुगतान नहीं होने का सख्त चेतावनी दिया गया है। इस संबंध में पत्र के माध्यम से भी सभी सहायक निदेशक/ खनिज विकास पदाधिकारी को संसूचित किया जाए।

(ii) कुछ जिलों द्वारा जिला अनुकम्पा समिति से बैठक कराकर अनुशंसा उपलब्ध नहीं कराया गया है, संबंधित जिलों को बैठक कराकर अनुशंसा अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iii) खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा खान निरीक्षक की सम्पुष्टि का मामला 21.08.2024 से लंबित है, उसे अविलम्ब निराकरण करने का निदेश दिया गया।

(iv) ग्रुप बीमा, GPF एवं पेंशन उपादान का मामला भी कई जिलों में लंबित है, उसे अविलम्ब निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(v) सेवा सम्पुष्टि से संबंधित मामलों को विहित प्रपत्र में भेजने का निदेश दिया गया।

(vi) ACP/MACP से संबंधित मामलों को विहित प्रपत्र में भेजने का निदेश दिया गया।

(vii) विभिन्न जिलों यथा रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, गोपालगंज, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णियाँ, शेखपुरा एवं जमुई में गृह रक्षक का वेतन भुगतान लंबित है। इन

जिलों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें।

(viii) कुल 38 जिलों में से कुल 09 जिलों यथा औरंगाबाद, बक्सर, गया, जहानाबाद, मधुबनी, नालंदा, रोहतास, सहरसा एवं समस्तीपुर,द्वारा जिला खनन कार्यालय निजी मकान में अवस्थित है। उन जिलों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि समाहर्त्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब कार्यालय को सरकारी भवन में हस्तानांतरण किया जाय।

(अनुपालन :–अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग/
सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(मनेश कुमार मीणा)
निदेशक, खान

सं0सं0:– विविध (सा0प्र0)–04/2024–1243 /एम0, पटना, दिनांक :– 13/02/26

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/विधि पदाधिकारी/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी–I, II/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/26

सरकार के अवर सचिव

13.2.26